न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 75/2022

बाबुलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र लच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. ।

— आवेदक

बनाम

1. इन्द्रसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जातिगण राजपूत निवासीगण अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
2. बलदेव सिंह उम्र 52 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जातिगण राजपूत निवासीगण अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
3. रणजीत सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जातिगण राजपूत निवासीगण अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
4. लक्ष्मणसिंह उम्र 54 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जातिगण राजपूत निवासीगण अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
5. सुमेरसिंह उम्र 58 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जातिगण राजपूत निवासीगण अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू राज.

— अनावेदकगण

वकील आवेदक — श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अनावेदकगण—

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 व 111 आर.एल.एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक 23.10.2024

संक्षेप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम अलसीसर पटवार हल्का अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 236 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 732 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा न. 733 रकबा 3.28 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.42 हैक्टर भूमि स्थित है, जो कि आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। आवेदक अपनी भूमि पर काबिज काश्त है तथा आवेदक की भूमि के सीमा के पास पड़ौस में अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 की भूमि खसरा न. 64 रकबा 1.57 हैक्टर वाके ग्राम न्यौला में स्थित है आवेदक व अनावेदकगण के मध्य सीमा को लेकर आये दिन विवाद करता रहता है जिससे मौके पर शांतिभंग होने का अंदेशा रहता है इसलिए आवेदक अपनी खातेदारी एवं काश्तकारी की उक्त वर्णित भूमि को आवारा पशुओं से फसल बचाने एवं अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबंदी करवाना चाहता है जिसके लिये आवेदक ने तहसीलदार महोदय मलसीसर के यहां सीमा ज्ञान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20.11.2015 को आदेश क्रमांक 248 पारित करवाकर पटवारी हल्का अलसीसर से दिनांक 26.11.2015 को रूबरू मौतबिरानों के समक्ष सीमाज्ञान करवा लिया था तथा उक्त सीमा ज्ञान दिनांक

41

.11.2015 के मुताबिक ही आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि की पत्थर गड्डी करवाना चाहता है आवेदक को अपनी खातेदारी की भूमि के पत्थर गडडी करवाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थर गडडी की बाबत लगने वाला खर्चा भी आवेदक अदा करने को तैयार है । परन्तु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 पत्थर गडडी नही होने देना चाहता है जिससे मौके पर लडाई झगड़ा होने का अंदेशा है इसलिए सीमा ज्ञान के आधार पर ब–ईमदाद पुलिस पत्थर गडडी करवाया जाना कानून व न्याय के मुताबिक आवश्यक है। आवेदन पत्र में वर्णित आराजीयात के पडौसी खातेदार अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 ने आवेदक द्वारा सीमाज्ञान के समय लगाये गये गद आदि को उखाड दिया है इसलिये उक्त आवेदन पत्र में श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 26.11.2015 के पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 26.11.2015 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम अलसीसर पटवार हल्का अलसीसर स्थित भूमि ख0न0 732, 733 कुल किता 2 कुल रकबा 4.42 है0 भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/24

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसरज